



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2481]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 30, 2017/भाद्र 8, 1939

No. 2481]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 30, 2017/BHADRA 8, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2017

का. आ. 2829(अ).—केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए “गुजरात विद्युत विनियामक आयोग” एक आयोग जिसका गठन विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधीन हुआ है, को, होने वाली निम्न विशिष्ट आय के संबंध में एतद्द्वारा अधिसूचित करती है, यथा:-

- सरकार से प्राप्त अनुदान और सहायता की रकम;
 - दर-निर्धारण में प्राप्त याचिका शुल्क एवं प्रक्रिया फीस के रूप में प्राप्त धनराशि;
 - लाइसेंस शुल्क एवं आवेदन शुल्क अथवा जुर्माने के रूप में प्राप्त धनराशि;
 - दस्तावेजों का शुल्क;
 - वार्षिक लाइसेंस शुल्क के भुगतान की देरी के लिए प्राप्त शास्ति अथवा ब्याज; और
 - आर.टी.आई. का शुल्क।
2. यह अधिसूचना इस शर्त पर लागू होगी कि गुजरात विद्युत विनियामक आयोग:—
- किसी वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
 - वित्तीय वर्ष में यह विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति व गतिविधि अपरिवर्तनीय रहेगी; और
 - यह उपर्युक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (च) के प्रावधानों के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लागू समझी जाएगी एवं यह वित्त वर्ष 2017-2018, 2018-2019, 2019-20 एवं 2020-21 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 84/2017/फा.सं.300196/8/2017-आईटीए-1]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

व्याख्यात्मक ज्ञापन.—यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।